प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 14 फरवरी, 2017**

विषय:- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु हडको से प्राप्त ऋण की धनराशि पर मूलधन के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2016-17 के लिए अनुदान संख्या-13 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-03/2017/148/38-4-17-17(बजट)/2015 दिनांक 13.02.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 एवं प्रस्तर-4 में उल्लिखित शासनादेश संख्या- आर0ई0 संख्या-407/यू0ओ0-ई-2-70/दस-2017 दिनांक 01.02.2017 के स्थान पर टंकण त्रुटि के कारण दिनांक 02.01.2017 अंकित हो गया है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-03/2017/148/38-4-17-17(बजट)/2015 दिनांक 13.02.2017 के प्रस्तर-2 एवं प्रस्तर-4 में उल्लिखित शासनादेश संख्या- आर0ई0 संख्या-407/यू0ओ0-ई-2-70/दस-2017 दिनांक 02.01.2017 के स्थान पर दिनांक 01.02.2017 पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-04/2017/152(1)/38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4
6- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
7- ग्रामीण आवास आयुक्त, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, सी-6/270, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, पिकप भवन, लखनऊ।
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
10- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in